



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.1 फेज-द्वितीय, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी

Email: robhiwadi@gmail.com Website www.rpcb.nic.in

क्रमांक:—राप्रनिम / क्षे०का० / भिवाडी / सामा—1005 / ३१८

दिनांक: २४/०६/२२

निविदा / बोली सूचना संख्या – ०५/२०२२–२०२३

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 की शेष अवधि के लिये निम्न सेवा अनुबंध के आधार पर उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत बोलीदाता/संवेदको/फर्मो से निम्नानुसार निविदायें आमंत्रित की जाती हैं:—

निविदा सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	बोली प्रपत्र शुल्क	अमानत राशि	बोली प्रपत्रविक्रय की अंतिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र खोलने की तिथि व समय
1	2	3			6	7	8
1	प्रयोगशाला परिचारक (कुल संख्या 02)	1.80	200/-	3600/-	13.07.2022 दोपहर 12. 00 बजे तक	14.07.2022 दोपहर 01.00 बजे	14.07.2022 दोपहर 2.00 बजे

निविदा प्रपत्र एंव अन्य शर्तें www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड प्रपत्र उपयोग में लेने पर निविदा प्रपत्र शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो (Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board) Payable at Bhiwadi के नाम से प्रस्तुत करना होगा। अमानत राशि 3600/- का डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। सील बंद लिफाफे पर “प्रयोगशाला परिचारकहेतु निविदा” स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। कार्यालय द्वारा निर्धारित तकनीकी व वित्तीय बोली हेतु प्रपत्र, पृथक—पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करने पर ही निविदा मान्य होगी। उपापन समिति द्वारा बोली स्वीकार करने/रद्द करने का निर्णय अंतिम होगा।

४३

(अमित शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

भिवाडी (अलवर)

PCB No - PCB 2223A 0026

UBN No - PCB 222550B00024



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.1 फेज-द्वितीय, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी
Email: robhiwadi@gmail.com Website www.rpcb.nic.in

तकनीकी बोली प्रपत्र
(लिफाफा न0 1)
प्रयोगशाला परिचारक कुल संख्या –02

1. संदर्भ : क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. भिवाड़ी की बोली सूचना
संख्या – 05..... दिनांक
2. बोलीदाता / संवेदक का नाम :-
3. डाक का पता :-
4. फोन / मोबाईल नं. :-
5. ई-मेल :-
6. बैंक का नाम :-
- आईएफएससी कोड
खाता संख्या :-
7. किसको सम्बोधित किया गया है। : क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. भिवाड़ी
8. बोली शुल्क रूपये : (1) 200/- रु (दो सौ मात्र)
(2) जमा रसीद संख्या दिनांक /
डीडी क्रमांक दिनांक राशि
9. बोली प्रपत्र में वर्णित समर्त शर्तें स्वीकार हैं, तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
10. प्रयोगशाला परिचारकहेतु दरें प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई हैं।
11. अमानत राशि 3600/- का डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाड़ी के नाम से
निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।
डीडीक्रमांक..... दिनांक..... बैंक का नाम
12. संलग्न प्राईस शिड्यूल में वर्णित दरे बोली स्वीकृति से दिनांक 31.03.2023 तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक
सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेंगा।
13. बोलीदाता / संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त
पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी:-

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाड़ी (अलवर)

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने सम्बन्धी 50रु.के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र				
8	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायांप्रति				

14. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत वित्तीय वर्षोंमें किसीभी क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/राजकीय उपक्रम/राजकीय कार्यालय में प्रयोगशाला में एक ही समयावधि में कम से कम एक वर्ष निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की छायांप्रति पर स्वहस्ताक्षरित कर बोली दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से लगाना होगा:-

क्र. सं.	विभाग / संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये प्रयोगशाला परिचारक का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध करवाये प्रयोगशाला परिचारक की समयावधि	संबंधित विभाग / संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन

15. मै/हम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाड़ी द्वारा जारी की गई बोली/निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक..... दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली आंमत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

16. संवेदक /बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम
मोबाईल न. -

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाड़ी (अलवर)



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.1 फेज—द्वितीय, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवार्डी

Email: robhiwadi@gmail.com Website www.rpcb.nic.in

Annexure-II

प्राईस—शिड्यूल
(वित्तीय बोली लिफाफा नं.2)

कार्य का नाम —प्रयोगशाला परिचारक(कुल संख्या 2)

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रयोगशाला परिचारक(कुल संख्या 2)	कुशल (02)	7176		13.00 (नियोक्ता)	3.25 (नियोक्ता)		

- उपर्युक्त तालिका मे स्तम्भ संख्या 1—4, 6 व 7 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों मे ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 मे ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी।
- संवेदक / बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- कॉलम सं0 09 मे देय राशि न्यूनतम 1/- रूपये से कम नहीं भरी जावे। राशि शुन्य या ऋणात्मक या 1/- रूपये से कम अंकित होने पर निविदा को अस्वीकृत कर दिय जावेगा। राशि पूर्णांक मे ही भरी जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
 नाम—


क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिलवडी (अलवर)

निविदादाता द्वारा धोषणा पत्र

मैं/हम धोषणा करते हैं कि मैंने/हमने बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैंकि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड हैं एंव वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसायकिया जाता है। वाचिंत मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध हैं तथा RTPP अधिनियम की धारा 46 एंव RTPP नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (debarred) नहीं हैं।

यदि यह धोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति या अन्य जमा राशि को पूर्ण रूप से समर्पहत कर लिया जाएगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर एंव मोहर

नाम

पूर्ण पता

मो.नम्बर

४५
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्वान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बङ्गला
भिकाडी (अलवर)

General Terms & Conditions of Bid & Contract:-

कार्य का नाम —प्रयोगशाला हेतु प्रयोगशाला परिचारक आपूर्ति कार्य(कुल संख्या 02)

1. बोलीदाता को बोलियों पृथक—पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम लिफाफा जिस पर "प्रयोगशाला परिचारक आपूर्ति का कार्यके लिए तकनीकी बोली अंकित हो मय बोली अमानत राशि का डीडी रूपये 3600/- क्षेत्रिय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल भिवाड़ी के नाम, वर्णित दस्तावेज, जिसमें वर्णित समस्त शर्तों के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किये गये हों, होने चाहिए। नकद, चैक, या अन्य किसी प्रकार से देय अमानत राशि मान्य नहीं होगी। द्वितीय लिफाफा जिस पर प्रयोगशाला हेतु प्रयोगशाला परिचारक आपूर्ति के लिए वित्तीय बोलियों के लिफाफे एक बड़े लिफाफे में बन्द कर लिफाफे पर "प्रयोगशाला हेतु प्रयोगशाला परिचारक आपूर्ति कार्य" अंकित कर प्रस्तुत करने होंगे।
2. बोलीदाता को इस बोली आमंत्रण सूचना प्रपत्र के साथ संलग्न Annexure परअनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।
3. तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
4. कार्य के समय लागू जी०एस०टी० की दरे मान्य होगी।
5. बोलीयां उचित रूप से मोहर बंद लिफाफे में प्रेषित की जायेगी। तकनीकी बोली के लिफाफे में बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने का प्रमाण, तकनीकी बोली प्रपत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 13 में 1 से 8 तक के प्रमाण पत्र बैक खाता विवरण एवं बोली प्रपत्र एवं शर्तें मय हस्ताक्षरित रखी जायेगी।
6. बोलीदाता को अपने बैक खाते का विवरण मय बैक का नाम, ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड एवं बैक खाता संख्या संलग्न करना होगा।
7. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, भिवाड़ी को अविलम्ब संसूचित किया जावेगा तथा इस परिवर्तन से सविदा/बोली के अधीन किसी भी दायित्व से पूर्ववर्ती फर्म एवं उसके पूर्ववर्ती सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।
8. सविदा के संबंध में नई फर्म के तब तक कोई नया/नये भागीदार स्वीकार नहीं किया जायेगा/किये जावेगां जब तक की वह/वे समस्त निवधों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हों और क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, भिवाड़ी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न कर दें। अभिस्वीकृति हेतु सफल बोलीदाता की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जावेगा और उससे वे सभी आबद्ध होंगे और वह सविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।
9. बोली प्रपत्र स्थाही से या टंकण से भरे जावेंगे। पैन्सिल से भरी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जावेगा। बोलीदाता प्रपत्र एवं शर्तों अथवा अन्य संबंधी दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करेगा और मोहर अंकित करेगा, जो उसकी शर्तें स्वीकार करने का प्रमाण होगा।
10. दरे अंकों एवं शब्दों दोनों में अंकित की जावेगी। इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या उपरिलेखन नहीं किया जावेगा। ऐसा कोई है तो बोलीदाता को इस पर अपने लघु हस्ताक्षर मय दिनांक करने होंगे अन्यथा बोली निरस्त कर दी जावेगी।
11. दरें बोली स्वीकृति की दिनांक से 31.03.2023 तक के लिए वैध एवं मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
12. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, प्रपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
13. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
14. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
15. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुश्ट होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
16. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
17. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय—समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली,
भिवाड़ी (अलवर)

18. संवेदक / बोलीदाता को राज्य / केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक / बोलीदाता का अंशदान भासिल होगा। संवेदक / बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक / बोलीदाता को आगामी माह के बिल / बिलों का भुगतान किया जायेगा।
19. संवेदक / बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helpingनम्बर एवं संवेदक / बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
20. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा।
21. संवेदक / बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक / बोलीदाता की ही होगी। संवेदक / बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा।
22. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक / बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों / दायित्वों के लिये संवेदक / बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
23. यदि संवेदक / बोलीदाता एंव कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाड़ी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
24. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवाअजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा।
25. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने / ई.एस.आई. करवाने / सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
26. यदि संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक / बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।
27. यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के महेनज़र किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक / बोलीदाता का होगा।
28. बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
29. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या भाड़े (Sub-Let) पर नहीं देगा।
30. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह 10 दिवस में प्रयोगशाला परिचारक उपलब्ध करवायेगा।। मूल्यांकन की कसौटी— खुली बोली में सफल / क्वालिफाइड बोलीदाता / संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।
31. प्रयोगशाला परिचारक की न्यूनतम योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
32. बोली आमत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र दिनांक से अधिकतम 7 दिन में राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाड़ी के नाम पर जमा करानी होगी एवं राशि 500 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाड़ी (अलवर)

33. अमानत राशि 3600/- का डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाड़ी के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।

34. भुगतान:-

(i) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

35. न्यूनतम निविदादरें एक से अधिक निविदा दाताओं की समान प्राप्त होने की स्थिति में न्यूनतम दर के साथ निविदा की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व किये गये कार्यों का अनुभव और उसके पेंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जायेगा। क्षेत्रीय कार्यालय की उपापन समिति स्विवेक से परीक्षण कर इस कार्य हेतु पात्र संस्थाएं कार्य करने की क्षमता, वार्षिक टर्नओवर, स्थानीय परिस्थितियों कार्य अनुभव आदि को मददेनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार पर किसी भी न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृति का निर्णय लेने के लिये स्वतन्त्र होगी। इस संबंध में कोई वाद विवाद स्वीकार नहीं होगा और न ही कार्यालय की उपापन समिति अन्य निविदादाताओं को इस क्रम में कोई स्पष्टीकरण देने के लिये बाध्य होगी।

36. बोली के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाड़ी से सम्पर्क किया जा सकता है।

मै/हम क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाड़ी द्वारा जारी की गई बोली सूचना..... दिनांक..... में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त बोली सूचना की समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा बिड के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जॉच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक एवं मौलिक रूप से सही हैं। यदि बिड प्रक्रिया या बिड प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मै/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूँगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बिड/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरुद्ध कानून/विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

उपरोक्त शर्तें मेरे द्वारा पढ़ ली गई हैं जो मुझे स्वीकार है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम व पता

४५
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाड़ी (अलवर)

अनुबन्ध के माध्यम से प्रयोगशाला परिचारक की सेवा के कार्य सम्पादन हेतु सामान्य शर्तें

- प्रयोगशाला परिचारक को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार डयूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिये अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
- किसी भी प्रयोगशाला परिचारक के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य प्रयोगशाला परिचारक को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा, अन्यथा प्रतिदिन 200 रुपये प्रति प्रयोगशाला परिचारक की दर से शास्ती वसूल की जावेगी जिसे सेवाप्रदाता का स्वयं वहन करना होगा।
- निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।
- निविदादाता के प्रयोगशाला परिचारक की डयूटी समय में कार्य के दौरान किसी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
- प्रयोगशाला परिचारक का कार्य कृशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर निर्देशानुसार कर्मचारी बदलना होगा।
- प्रयोगशाला परिचारक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी, आयु प्रमाण पत्र प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- प्रयोगशाला परिचारक को रखे जाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण एंव चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वैरिफिकेशन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- किसी भी प्रकार का विवाद में क्षेत्रिय अधिकारी राप्रनिम भिवाड़ी का निर्णय ही अन्तिम मान्य होगा।
- राज्य सरकार द्वारा प्रयोगशाला परिचारक के सम्बन्ध में समयसमय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होंगे।
- सर्वेदक द्वारा अयोग्य एंव अवयस्क व्यक्तियों को जोब पर नहीं लगाया जावेगा, उपलब्ध कराये गये कार्मिक के कम में सेवाप्रदाता पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा। कार्मिकों की न्यूनतम आयु 18 एंव अधिकतम 50 वर्ष होगी।
- सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा जोब बेसिस पर उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिक पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा अनुबन्ध की समाप्ति होते ही कार्मिकों की कार्य अवधि स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
- किसी भी विवाद में क्षेत्रिय अधिकारी राप्रनिम भिवाड़ी का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।

क्षेत्रिय अधिकारी

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम व पता

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाड़ी (अलवर)